न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 2/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
लूणाराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी साडोकण तहसील व जिला नागौर।		1राज. सरकार जरिये नायब तहसीलदार, नागौर। 2राज. सरकार जरिये पटवारी हल्का गंगवाना तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 23.02.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 6/2015 सरकार बनाम लूणाराम में निर्णय दिनांक 15.12.15 के तहत मौजा साडोकण के खसरा नं. 667 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.12.15 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 04.01.16 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों परिस्थितियों एवं साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलार्थी का बाडा पुरातन समय का है। जो 50 साल से भी अधिक समय से कब्जे व उपयोग का रहता आया है तथा चारों ओर आबादी स्थित है तथा आबादी में परिवर्तन करने बाबत कार्यवाही विचाराधीन है व दीवानी वाद भी सन 2013 से विचाराधीन है। पूर्व में अपीलार्थी को कभी भी अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी नही किया गया व न ही पूर्व में कभी अथवा दिनांक 21.02.14 को भौतिक रूप से बेदखल ही किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जाना साबित नही है व न ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना साबित है। ऐसी स्थिति में बिना पश्चातवृति अतिक्रमण साबित होते हुए भी निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को समुचित साक्ष्य व सुनवायी का कोई अवसर नही दिया व न ही पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर ही दिया। जो पटवारी हल्का के बयानों से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। बयानों में भी जिरह हेतु अवसर देने का कोई उल्लेख नही किया गया व न ही जिरह हेतु नोटिस जारी किया गया व न ही अवसर देने का अंकन किया गया व न ही जिरह बंद की गई। इससे पूर्णतया स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत जाकर बिना साक्ष्य सुनवायी का अवसर दिये व अतिक्रमण के संबंध में बिना साक्ष्य व सबूत का अवसर दिये आदेश पारित किया है। जो आदेश विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अपीलार्थी के विरूद्व पश्चातवृति अतिक्रमण किया जाना किसी भी प्रकार से साबित नही है। ऐसा साबित करने हेतु विधि अनुसार पूर्व बेदखली आदेश व बेदखली फर्द की प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य में पेश कर साक्ष्य से साबित करवायी जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में न तो पूर्व में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट व बेदखली आदेश व बेदखली फर्द की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई व न ही साक्ष्य में प्रदर्शित कर प्रमाणित की गई व न ही उन पर कोई जिरह का अवसर ही दिया गया। ऐसी स्थिति में पश्चातवृति अतिक्रमण व पूर्व बेदखली किसी भी प्रकार से साबित नही होते हुए भी पश्चातवृति अतिक्रमण मानकर सिविल कारावास का दण्डादेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(V)–वकील अपीलांट द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उनके द्वारा बाडा बनाकर किया गया अतिक्रमण हटा लिया गया है तथा अब कोई अतिक्रमण नही है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा शपथ पत्र भी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 8.2.16 के अनुसार अतिक्रमण हटा लिये जाने की पुष्टि की गई है। इसलिये सिविल कारावास माफ किया जाना चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा साडोकण में स्थित गै. मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। इससे पहले प्रकरण सं. 94/11 में बेदखली कार्यवाही दिनांक 21.02.14 को हुई है। जिसको पटवारी के बयानों में साबित भी करवाया गया है। इस प्रकार अतिक्रमण की पुनरावृति होने पर ही सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया है। जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके साडोकण के खसरा नंबर 667 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि होना रेकर्ड से साबित है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट का उपस्थित होना रेकर्ड से साबित है। इससे पहले प्रकरण सं. 94/11 में दिनांक 21.02.14 को भौतिक रूप से बेदखली कार्यवाही भी किया जाना फर्द बेदखली व पटवारी के बयान से साबित है। अपील अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दौराने अपील प्रस्तुत किया गया। जिसका सत्यापन करवाये जाने पर तहसीलदार द्वारा जांच में मौके पर अतिक्रमण होना, जिसमें 10x10 फुट का पक्का निर्माण सहित अतिक्रमण पाया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर